गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 13.05.2019 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 13.05.2019 को दोपहर 12:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष में संपन्न हुई, बैठक के प्रारंभ में कुलसचिव जी ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदया की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1.	प्रो0 अंजिला गुप्ता	अध्यक्ष
2.	प्रो0 ए.के. सक्सेना	सचिव
3.	प्रो0 व्ही.एस. राठौर	सदस्य
4.	प्रो0 मनीष कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
5.	प्रो0 मनीषा दुबे	सदस्य
6.	प्रो0 पी.के. बाजपेयी	सदस्य
7.	प्रो0 ए.एस. रणदिवे	सदस्य
8.	प्रो0 एल.पी. पटैरिया	सदस्य
9.	प्रो0 एम.के. सिंह	सदस्य
10.	प्रो0 शैलेन्द्र कुमार, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :–

01 प्रो0 व्ही.डी. रंगारी

02 प्रो0 जी.के. पात्रा

03 प्रो0 बी.एन. तिवारी

निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

विषय क्र. 01 विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 20.03.2019 एवं अति आवश्यक बैठक दिनांक 02.05.2019 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 20.03.2019 एवं अति आवश्यक बैठक दिनांक 02.05.2019 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

विषय क्र. 02 अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 03.05.2019 के कार्यवृत्त पर विचार।

अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 03.05.2019 के कार्यवृत्त पर विचार करते हुए स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि कार्यवृत्त का अनुमोदन किया जाय एवं अधिष्ठाताओं के द्वारा कृत अनुशंसाओं के अनुसार कार्यवाही सम्पादित की जाय।

स्थायी समिति ने यह और भी निर्णय लिया कि प्रस्तावित अकादमिक कैलेण्डर 2019–20 का अनुमोदन किया जाय, परन्तु अकादमिक कैलेण्डर के प्रसारण के पूर्व शीतकालीन अवकाश की अवधि को सुधार कर दिनांक 25.12.2019 से 31.12.2019 कर दिया जाय।

विषय क्र. 03 **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 अनुसार कार्यवाही हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।**

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि यू.जी.सी. के पत्र क्रमांक एफ.नं. 6–5/2017 (एससीटी) दिनांक 07.04.2019 के माध्यम से प्राप्त दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 को अंगीकृत कर लिया जाय एवं अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही सम्पादित की जाय।

विषय क्र. 04 **परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिये विनियम के प्रारूप पर विचार।**

स्थायी समिति ने इस विषय को आगामी बैठक के लिए स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया।

विषय क्र. 05 **सी.बी.सी.एस. (CBCS) प्रणाली के अन्तर्गत बी.एससी. फारेष्ट्री विषय के अध्यादेश संशोधन पर विचार।**

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तावित संशोधन को सारणी के रूप में प्रस्तुत किये जाने हेतु संबंधित अधिष्ठाता एवं विभागाध्यक्ष अधिकृत रहेंगे। संबंधित अधिष्ठाता एवं विभागाध्यक्ष से सारणी प्राप्त हो जाने के उपरान्त विषय विद्यापरिषद की स्थायी समिति को पुनः प्रस्तुत किया जाय।

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव **कुलपति/अध्यक्ष**